

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

सं०सं०-०१/स्था० (विविध)-३४/२०२२ **६४४३** न०वि०एवंआ०वि०, पटना, दिनांक-**०६/०६/२५**

जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक-७८१ दिनांक-२७.०५.२०२५ के आलोक में नगर आयुक्त, नगर निगम, सीतामढ़ी के अवकाश अवधि में बिहार नगरपालिका अधिनियम, २००७ की धारा-४१ के अन्तर्गत श्री कुलदीप सिन्हा, उप नगर आयुक्त, नगर निगम, सीतामढ़ी नगर आयुक्त, नगर निगम, सीतामढ़ी के प्रभार में रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

(राजीव रंजन तिवारी)

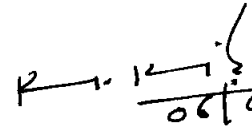
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-०१/स्था० (विविध)-३४/२०२२ **६४४३** /न०वि०एवंआ०वि०, पटना, दिनांक-**०६/०६/२५**

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ नगर आयुक्त, नगर निगम, सीतामढ़ी/ श्री कुलदीप सिन्हा, उप नगर आयुक्त, नगर निगम, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


०६/०६/२०२५

सरकार के अवर सचिव।